मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

एमसीआईआर

खण्ड XV | अंक 7 | जनवरी 2020

विषयवस्तु

खंड	पृष्ठ
1. पर्यवेक्षण	1
2. विनियमन	1
3. वित्तीय बाजार विनियमन	2
4. विदेशी मुद्रा प्रबंध	3
5. वित्तीय समावेशन	3
6. मुद्रा प्रबंध	3
7. भुगतान एवं निपटान प्रणाली	4

संपादक से नोट

मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका जनवरी माह में धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए नए विकासात्मक और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in के साथ-साथ क्यूआर कोड स्कैन करके भी एक्सेस किया जा सकता है।

संचार के इस साधन के माध्यम से हम तथ्यात्मक सटीकता और सूचना के प्रसार में स्थिरता सुनिश्चित करते हुए सूचनाओं को साझा करने, शिक्षित करने और संपर्क में बने रहने का लक्ष्य रखते हैं।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcirrbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

योगेश दयाल
संपादक

I. पर्यवेक्षण

यूसीबी के लिए पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 06 जनवरी, 2020 को वित्तीय तनाव का सामना कर रहे प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए अपने पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ) को और अधिक युक्तिसंगत बनाया। पुनरीक्षित पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे में निम्न निर्दिष्ट वित्तीय मानदंडों / संकेतकों से संबंधित निर्दिष्ट सीमाएँ / ट्रिगर्स के उल्लंघन होने पर शहरी सहकारी बैंक द्वारा स्व-सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने तथा/अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षी कार्रवाई करने का प्रावधान किया गया है:

संशोधित एसएएफ़ के अनुसार, यूसीबी को तभी एसएएफ के तहत रखा जा सकता है जब:

(i) उसकी निवल गैर-निष्पादक आस्तियाँ उसके निवल उधारों के 6 प्रतिशत से अधिक हो;

(ii) किसी शहरी सहकारी बैंक को लगातार दो वित्तीय वर्षों में हानि होने अथवा उसके तुलन पत्र पर संचित हानि होने पर ; और

(iii) जब बैंक का पूंजी से जोखिम भारित परिसंपत्तियों का अनुपात 9 प्रतिशत से कम हो

शहरी सहकारी बैंकों के खिलाफ पर्यवेक्षी कार्रवाई सामान्यतया सांविधिक निरीक्षण के दौरान निर्धारित उसकी वित्तीय स्थिति के आधार पर की जाएगी। संशोधित एसएएफ को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

बड़े ऋणों से संबंधित केंद्रीय सूचना भंडार (सीआरआईएलसी) में वृहत एक्सपोजर के संबंध में रिपोर्टिंग

रिज़र्व बैंक ने 16 जनवरी, 2020 को प्राथमिक यूसीबी, जिनकी कुल संपत्ति पिछले वित्त वर्ष की 31 मार्च को 500 करोड़ और उससे अधिक है, द्वारा बड़े ऋणों से संबंधित केंद्रीय सूचना भंडार (सीआरआईएलसी) को बड़े एक्सपोज़र की रिपोर्टिंग के लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी किए।

सीआरआईएलसी-यूसीबी में रिपोर्टिंग हेतु परिचालन संबंधी दिशानिर्देश सीआरआईएलसी-यूसीबी विवरणी की रिपोर्टिंग की अवधि तथा सीआरआईएलसी-यूसीबी विवरणी में तीन खंड 1: बड़े उधारकर्ताओं का एक्सपोजर, खंड 2: तकनीकी / विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते डाले गए खातों की रिपोर्टिंग और खंड 3: चालू खाते में शेष राशि की रिपोर्टिंग से संबंधित है।

रिज़र्व बैंक ने यूसीबी को सूचित किया है कि सीआरआईएलसी-यूसीबी विवरणी में डेटा दिनांक 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तिमाही से प्रस्तुत करें। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

II. विनियमन

केवाईसी पर मास्टर निदेश संशोधित

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 09 जनवरी 2020 को केवाईसी के लिए आने वाले ग्राहक की पहचान स्थापित करने के लिए सहमति आधारित वैकल्पिक विधि के रूप में वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी) को अनुमति देने का निर्णय लिया। यह विनियमित संस्थाओं (आरईएस) द्वारा ग्राहक पहचान प्रक्रिया (सीआईपी) के लिए डिजिटल चैनलों का लाभ उठाने के उद्देश्य से किया गया है। दिनांक 25 फरवरी 2016 के केवाईसी संबंधी मास्टर दिशानिर्देश में परिणामी बदलाव किए गए हैं और धन शोधन निवारण नियमों और वी-सीआईपी में संशोधन आरबीआई की वेबसाइट पर रखें गए हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

आईबीयू के लिए स्वीकार्य गतिविधियाँ

रिज़र्व बैंक ने 21 जनवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफ़एससी) बैंकिंग इकाइयों (आईबीयू) को आईएफ़एससी में स्थापित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध रुपया संबंधी एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव(विदेशी मुद्रा में निपटान के साथ) में भाग लेने की अनुमति दी। रिज़र्व बैंक ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने हेतु सूचित किया है कि उनके आईबीयू के पास पूंजी प्रभार की कीमत, मूल्य और गणना करने और पेश किए जाने वाले उत्पादों / लेनदेन से जुड़े जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता है। बैंक ऐसे लेनदेन करने के लिए अपने बोर्ड की स्वीकृति भी प्राप्त करेंगे। रिज़र्व बैंक ने आईबीयू को इन उत्पादों में भाग लेने के दौरान अन्य सभी जोखिम शमन और विवेकपूर्ण उपायों का पालन करने हेतु सूचित किया। विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

स्वर्ण आभूषणों के एवज में ऋण

रिज़र्व बैंक ने 21 जनवरी 2020 को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) को एक जिले में विभिन्न शाखाओं से सोने के आभूषणों की पूलिंग करने और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन, जिले के किसी भी स्थान पर नीलामी करने की अनुमति दी:

(i) पहली नीलामी विफल रही है।

(ii) एनबीएफसी यह सुनिश्चित करेगा कि नीलामी (पूर्व सूचना, आरक्षित मूल्य, आर्म्स-लेंथ संबंध, प्रकटन और अन्य) से संबंधित मौजूदा निदेशों की अन्य सभी आवश्यकताएं पूरी कर ली गई है।

रिज़र्व बैंक ने यह भी कहा कि शर्तों का अनुपालन न करने पर सख्त प्रवर्तन कार्रवाई होगी। अधिक पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

III. वित्तीय बाज़ार-विनियमन

ओटीसी करेंसी डेरिवेटिव लेनदेन

रिज़र्व बैंक ने 01 जनवरी 2020 को निर्णय लिया कि करेंसी डेरिवेटिव में सभी ग्राहक लेनदेन, जिनमें एक मिलियन अमरीकी डालर से कम की काल्पनिक राशि शामिल है, अब 06 जनवरी 2020 से ट्रेड रिपॉजिटरी को रिपोर्ट किए जाएंगे। एकबारीय उपाय के रूप में, ट्रेड रिपॉजिटरी (टीआर) में लेनदेन को अपडेट करने के लिए, प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-I बैंकों को 31 जनवरी, 2020 तक टीआर में एक मिलियन अमरीकी डालर से कम राशि के साथ सभी बकाया ग्राहक लेनदेनों की रिपोर्ट करनी होगी। इससे पहले, अमरीकी डालर एक मिलियन और अन्य मुद्राओं में इसके बराबर की सीमा मुद्रा डेरिवेटिव (मुद्रा स्वैप और एफ़सीवाई एफ़आरए / आईआरएस) में व्यापार लेनदेन (टीआर) के लिए ग्राहक लेनदेन की रिपोर्टिंग के लिए निर्धारित की गयी थी। विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

एफ़बीआईएल द्वारा बेंचमार्क

रिज़र्व बैंक ने 01 जनवरी, 2020 को फ़ाईनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (FBIL) द्वारा प्रशासित निम्नलिखित बेंचमार्क को 'महत्वपूर्ण बेंचमार्क' के रूप में अधिसूचित किया:

(i) ओवरनाइट मुंबई अंतरबैंक प्रत्यक्ष दर (एमआईबीओआर)

(ii) मुंबई अंतरबैंक वायदा प्रत्यक्ष दर (एमआईएफ़ओआर)

(iii) यूडीडी/ आईएनआर संदर्भ दर

(iv) खजाना बिल दर

(v) सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन

(vi) राज्य विकास ऋणों का मूल्यांकन (एसडीएल).

यह अधिसूचना 26 जून 2019 के वित्तीय बेंचमार्क प्रशासक (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2019 के तहत अपेक्षानुसार रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया गया था। अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

ऑनशोर बाजार समय के बाद ग्राहक और अंतर-बैंक लेन-देन

रिज़र्व बैंक ने 06 जनवरी 2020 को प्राधिकृत व्यापारियों (एडी) श्रेणी- ख बैंकों को स्वेच्छा से ऑनशोर बाजार समय के बाद ग्राहक (भारत में निवासी व्यक्ति और भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति) और अंतर-बैंक लेनदेन की अनुमति दी। विदेशी शाखाओं और समनुषंगी के माध्यम से भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों के साथ लेनदेन भी ऑनशोर बाजार समय के बाद किया जा सकता है।

ऑफशोर रुपया बाजार संबंधी कार्यदल ने एडी श्रेणी - I बैंकों को हर समय, अपनी भारतीय खातों में से, घरेलू बिक्री टीम या अपनी विदेशी शाखाओं के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को विदेशी विनिमय मूल्य प्रदान करने की अनुमति देने की सिफारिश की थी। रिज़र्व बैंक ने कार्यदल की सिफारिश को स्वीकार कर लिया तथा जोखिम प्रबंधन और अंतरबैंक व्यवहार (डीलिंग) संबंधी मास्टर दिशानिर्देश में संशोधन किया। विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

आईएफ़एससी में रुपया डेरिवेटिव

रिज़र्व बैंक ने 20 जनवरी, 2020 को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों(आईएफ़एससी) में कारोबार करने के लिए रुपये के डेरिवेटिव (विदेशी मुद्रा में निपटान के साथ) को अनुमति प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए। जारी दिशानिर्देशों के अनुसार:

(i) आईएफ़एससी में स्थापित मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में किसी भी मुद्रा जोड़ी जिसमें रुपया शामिल हो या अन्यथा में मुद्रा डेरिवेटिव को अनुमति दी जाती है;

(ii) रुपये में की गई संविदाओं का निपटान भारतीय रुपए के अलावा दूसरी मुद्रा में किया जाएगा; और

(iii) भारत के बाहर निवासी कोई भी व्यक्ति इन डेरिवेटिव संविदाओं को कर सकता है। विस्तार से पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

कर्ज़ में एफ़पीआई निवेश

23 जनवरी 2020 को रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया कि:

(i) केंद्र सरकार के प्रतिभूति (खज़ाना बिल सहित) और राज्य विकास ऋणों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफ़पीआई) की अल्पकालिक निवेश सीमा को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया जाए;

(ii) कॉर्पोरेट बॉन्ड में एफपीआई निवेश की सीमा को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करना; तथा

(iii) राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड(आईबीसी) के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प योजना के अनुसार कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस के तहत आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों और संस्थाओं द्वारा जारी किए गए डेट इंस्ट्रूमेंट्स में सिक्योरिटी रसीदों में एफपीआई निवेश को दी गई छूट को बढ़ाना । विस्तार से पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

वीआरआर के माध्यम से एफ़पीआई निवेश में छूट

रिज़र्व बैंक ने 23 जनवरी 2020 को निर्णय लिया की ऋण में विदेशी संविभाग निवेशकों(एफ़पीआई) द्वारा निवेश पर कैप 23 जनवरी 2020 को रु 75,000 करोड़ से रु 1,50,000 करोड़ तक बढ़ा दिया जाए। तदनुसार, वे एफ़पीआई जिन्हें स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) के अंतर्गत निवेश सीमाएं आबंटित की गई है उन्हें सामान्य निवेश सीमा के अंतर्गत किए गए अपने निवेश को वीआरआर में अंतरित करने की अनुमति दी गई है। उन्हें विनिमय व्यापारित निधियों में भी निवेश करने की अनुमति दी गयी है जो केवल ऋण लिखतों में ही निवेश करते हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

IV. विदेशी मुद्रा प्रबंध

एमटीटी दिशानिर्देश संशोधित

रिज़र्व बैंक ने मर्चेंटिंग कारोबारी लेन-देनों को और सुविधा मुहैया करने के लिए 23 जनवरी 2020 को मर्चेंटिंग कारोबारी लेन-देनों (एमटीटी) पर वर्तमान दिशा -निर्देशों को संशोधित किया है। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार:

(i) किसी लेनदेन को मर्चेंटिंग कारोबारी के रूप में वर्गीकृत करने के लिए प्राप्त माल को घरेलू सीमा-शुल्क(टैरिफ) क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाएगा।

(ii) कतिपय मामलों में, प्राप्त माल में कुछ विशिष्ट प्रोसेसिंग/मूल्य संवर्धन की आवश्यकता हो सकती है, प्राप्त माल की अवस्था को बदला जा सकता है बशर्ते प्राधिकृत व्यापारी (एडी) बैंक लेन-देन के दस्तावेज़ी साक्ष्य और वास्तविकता से संतुष्ट हो।

(iii) एमटीटी उस माल के लिए शुरू किया जाएगा जिसे पोत लदान की तारीख को मौजूदा भारतीय विदेशी व्यापार नीति (एफ़टीपी) के अंतर्गत निर्यात/आयात के लिए अनुमति प्राप्त है।

(iv) एडी बैंक स्वयं लेन-देन की प्रामाणिकता की जांच करेगा। ऐसे लेन-देनों को संचालित करते समय एडी बैंक द्वारा केवाईसी और एएमएल दिशा-निर्देशों का निष्ठापूर्वक पालन किया जाएगा।

(v) संपूर्ण एमटीटी को नौ माह की समग्र अवधि में पूरा किया जाएगा और किसी भी प्रकार का विदेशी मुद्रा परिव्यय चार माह से अधिक नहीं होगा।

(vi) आपूर्तिकर्ता ऋण या क्रेता ऋण के माध्यम से अल्पावधि ऋण एमटीटी को उस सीमा तक दिया जा सकता है जहां निर्यात लेग के लिए अग्रिम विप्रेषण का सहारा नहीं है। इसमें एडी बैंक द्वारा निर्यात लेग भुनाना, साख पत्र शामिल है, जैसाकि आयात लेन-देनों में पाया जाता है। विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

विदेशी संविभाग निवेशकों (एफ़पीआई) द्वारा निवेश हेतु संशोधित स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 23 जनवरी 2020 को विदेशी संविभाग निवेशकों(एफ़पीआई) द्वारा निवेश हेतु स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) योजना संशोधित की। संशोधित वीआरआर योजना में 24 जनवरी 2020 से निम्नलिखित विवरणों के अनुसार पुनराबंटन शुरू किया जाएगा :

(i) वीआरआर के अंतर्गत निवेश सीमा 1,50,000 करोड़ तक बढ़ा दी गई है।

(ii) तदनुसार नए आबंटन के लिए 90,630 करोड़ (वर्तमान निवल आबंटन और समायोजन) निवेश हेतु उपलब्ध होंगे और इसे वीआरआर- संयुक्त संवर्ग के अंतर्गत आबंटित किया जाएगा।

(iii) न्यूनतम प्रतिधारण अवधि तीन वर्ष होगी।

(iv) निवेश सीमा मांग के अनुसार प्राप्य(ऑन टैप) रहेगी तथा आबंटन पहले आओ, पहले पाओ आधार पर किया जाएगा।

(v) निवेश सीमा पूर्णतः आबंटित हो जाने तक टैप खुला रहेगा।

(vi) निवेश सीमा के लिए एफ़पीआई अपने संबंधित अभिरक्षकों के माध्यम से भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) को ऑन-लाइन आवेदन कर सकते हैं।

(vii) सीसीआईएल द्वारा आवेदन प्रक्रिया और आबंटन संबंधी परिचालन विवरण अलग से अधिसूचित किए जाएंगे। प्राप्त फीडबैक तथा सरकार के साथ विचार-विमर्श के आधार पर बैंक ने अपने परिचालन संबंधी लचीलेपन को बढ़ाने के लिए योजना में कतिपय संशोधन किए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 01 मार्च 2019 को विदेशी संविभाग निवेशकों(एफ़पीआई) द्वारा निवेश हेतु स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) की शुरुआत की। अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें।

V. वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफ़आई): 2019-2024

श्री एम के जैन, उप-गवर्नर ने 10 जनवरी 2020 को अगरतला में आयोजित उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए वित्तीय समावेशन पर उच्च स्तरीय बैठक में वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफ़आई) जारी की। वैश्विक प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय समावेशन सलाहकार समिति (एफ़आईएसी) के तत्वावधान में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2019-2024 की अवधि के लिए वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफ़आई) तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है। सभी हितधारकों के साथ गहन विचार-विमर्श किया गया है। प्राप्त इनपुट्स / फीडबैक के आधार पर, एनएसएफ़आई को अंतिम रूप दिया गया है और उसे वित्तीय स्थिरता विकास परिषद (एफ़एसडीसी) द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह दस्तावेज यहाँ क्लिक कर के पढ़ा जा सकता है।

VI. मुद्रा प्रबंध

मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफ़ायर मणि

श्री. शक्तिकांत दास, गवर्नर ने 1 जनवरी 2020 को मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफ़ायर (मणि) नामक एक नए मोबाइल एप्लिकेशन का आरंभ किया जो भारतीय बैंकनोट के मूल्यवर्ग की पहचान करने में

दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सहायता करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विकसित मोबाइल एप्लिकेशन श्रव्य सूचना और गैर-ध्वनि मोड से दृष्टि एवं श्रव्य बाधित लोगों के लिए मूल्यवर्ग को पहचानने में सक्षम है। यह मोबाइल एप्लिकेशन किसी नोट के वास्तविक या जाली होने को आधिप्रमाणित नहीं करता है। । मणि एंड्रॉयड ऐप सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rbi.mani

आईओएस ऐप सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है:

आईओएस

(ios)9+:https://apps.apple.com/app/id1491441464

आईओएस

(ios) 8: https://apps.apple.com/app/id1491443029

VII. भुगतान एवं निपटान प्रणाली

भुगतान प्रणाली परिचालकों/बैंकों पर दंड लगाने हेतु ढांचा

यह सुनिश्चित करने के लिए कि भुगतान प्रणालियाँ विश्वसनीय और सुरक्षित हो तथा विभिन्न हितधारक विनियामक अपेक्षाओं का पालन कर रहे हैं, रिज़र्व बैंक ने 10 जनवरी 2020 को भुगतान प्रणाली परिचालकों पर दंड लगाने की प्रक्रिया को संशोधित किया। संशोधित ढांचे में निष्पक्ष और पारदर्शी निर्णय लेने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रीत किया गया है। संशोधित ढांचे के अनुसार:-

(i) रिज़र्व बैंक को कतिपय उल्लंघनों के संबंध में मौद्रिक दंड लगाने तथा कतिपय उल्लंघनों को कंपाउंड करने की शक्तियां प्राप्त है।

(ii) मौद्रिक दंड लगाने तथा उल्लंघनों को कंपाउंड करने हेतु रिज़र्व बैंक की शक्तियां भिन्न-भिन्न होने तथा उल्लंघनों की पहचान का स्वरूप भी भिन्न होने के मद्देनजर, अलग प्रक्रियाएँ प्रस्तावित की गई हैं।

(iii) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पहचाने गए उल्लंघनों तथा कंपाउंड किए गए उल्लंघनों के कारण मौद्रिक दंड लगाने के लिए शक्तियों को अलग करना।

(iv) कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी करने का निर्णय कतिपय मानदंडों पर आधारित रहेगा।

विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

यूनीफ़ाइड पेमेंटस इंटरफेस (यूपीआई) में ई-मैनडेट का प्रसंस्करण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 10 जनवरी 2020 को यूनीफ़ाइड पेमेंटस इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेनों को शामिल करते हुए आवर्ती लेनदेन के लिए कार्डों पर ई-मैनडेट का प्रसंस्करण के दायरे को बढ़ाया। आवर्ती लेनदेन के लिए कार्डों/प्रीपेड भुगतान लिखतों पर ई-मैनडेट के प्रसंस्करण पर रिज़र्व बैंक के 21 अगस्त 2019 के परिपत्र में उल्लिखित पहले के दिशानिर्देशों में ई-मैनडेट के पंजीकरण, संशोधन और निरसन के दौरान प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक के साथ आवर्ती लेनदेन (व्यापारी भुगतान) के लिए कार्डों/प्रीपेड भुगतान लिखतों पर ई-मैनडेट के प्रसंस्करण की अनुमति दी गई थी। अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें।

कार्ड लेनदेन की सुरक्षा को बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 जनवरी 2020 को उपयोगकर्ता सुविधा को बेहतर बनाने और कार्ड की सुरक्षा बढ़ाने के लिए निर्णय लिया गया है कि :

(i) सभी कार्डों (भौतिक और आभासी) को जारी / पुनः जारी करते समय भारत के अंदर केवल संपर्क आधारित उपयोग स्थलों पर उपयोग के लिए सक्षम किया जाएगा।

(ii) जारीकर्ता कार्डधारक को कार्ड नॉट प्रेजेंट (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय) लेन-देन, कार्ड प्रेजेंट (अंतरराष्ट्रीय) लेन-देन और संपर्क-रहित लेनदेन की सुविधा प्रदान करेंगे।

(iii) मौजूदा कार्डों के लिए जारीकर्ता अपनी जोखिम की अवधारणा के आधार पर कार्ड नॉट प्रेजेंट (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय) लेन-देन, कार्ड प्रेजेंट (अंतरराष्ट्रीय) लेन-देन और संपर्क-रहित लेनदेन के अधिकार को निष्क्रिय करने का निर्णय ले सकते हैं। वर्तमान कार्ड जिनका उपयोग ऑनलाइन (कार्ड नॉट प्रेजेंट) / अंतर्राष्ट्रीय / संपर्क-रहित लेनदेन के लिए कभी भी नहीं किया गया है, उन्हें इस प्रयोजनार्थ अनिवार्य रूप से निष्क्रिय करना है। इसके अतिरिक्त, जारीकर्ता सभी कार्ड धारकों को कुछ अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करेंगे।

रिज़र्व बैंक ने कार्ड जारीकर्ता को यह भी सूचित किया कि जारीकर्ता सभी कार्ड धारकों को निम्नलिखित अतिरिक्त सुविधा प्रदान करेंगे:

(i) सभी प्रकार के लेन-देन - घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, पीओएस पर / एटीएम / ऑनलाइन लेन-देन / संपर्क रहित लेन-देन इत्यादि को बंद करने / चालू करने और लेन-देन की सीमा (कार्ड की समग्र सीमा के भीतर, यदि जारीकर्ता द्वारा कोई सीमा निर्धारित की गई हो) को निर्धारित / संशोधित करने की सुविधा ;

(ii) कई चैनलों - मोबाइल एप्लीकेशन / इंटरनेट बैंकिंग / एटीएम / इंटरैक्टिव वॉइस रिसपोन्स (आईवीआर) के माध्यम से उपर्युक्त सेवा को 24 × 7 आधार पर उपलब्ध कराना; इसे शाखाओं / कार्यालयों के स्तर पर भी उपलब्ध कराया जा सकता है;

(iii) जब कभी भी कार्ड की स्थिति में कोई परिवर्तन होता है तो एसएमएस / ई-मेल के माध्यम से चेतावनी / सूचना / स्थिति, इत्यादि।

विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

नियुक्तियाँ

डॉ. माइकल देवव्रत पात्र को उप गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया

14 जनवरी 2020 की भारत सरकार की अधिसूचना के अनुपालन में डॉ माइकल देवव्रत पात्र ने 15 जनवरी 2020 से तीन साल तक की अवधि के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के उप-गवर्नर के रूप में पदभार संभाला। उप गवर्नर के रूप में वे एमपीसी के पदेन सदस्य बने रहेंगे।

डॉ. जनक राज को कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया

डॉ. जनक राज, प्रधान परामर्शदाता, मौद्रिक नीति विभाग को 29 जनवरी 2020 से कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक के रूप में नियुक्त किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) केन्द्रीय बोर्ड द्वारा 29 जनवरी 2020 को मुंबई में आयोजित अपनी बैठक में डॉ. जनक राज,कार्यपालक निदेशक को मौद्रिक नीति समिति में पदेन सदस्य के रूप में नामित किया गया।

योगेश दयाल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित । मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू https://mcir.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है।